

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1625/2014

संस्थापन दिनांक 09.12.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—सत्यपालसिंह तौमर पुत्र कमलसिंह तौमर उम्र 50

वर्ष निवासी ग्राम चंदोखर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर धारा 341, 294 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 327 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 29.10.14 को प्रातः दस बजे ग्राम चंदोखर नरेश तौमर के दरवाजे के सामने आम रास्ता एण्डोरी जिला भिण्ड पर हरीसिंह अ0सा01 से शराब के लिए पैसे उद्दापन कारित करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.10.14 को प्रातः 10 बजे फरियादी हरीसिंह अ0सा01 टैक्टर से अपने खेत पर जा रहा था उसके साथ पेजराम उसका भाई भी था जब वह नरेशसिंह के घर के सामने पहुंचे तब आरोपी ने टैक्टर रोक लिया जब फरियादी टैक्टर से उतरा तब आरोपी ने शराब के लिए पैसे मांगे और मना करने पर आरोपी अश्लील गालियां देने लगा और फरियादी के चांटा मारा। पेजराम और रोशनलाल ने उसे बचाया। तत्पश्चात फरियादी हरीसिंह अ0सा01 ने थाना एण्डोरी में एफ.आई.आर. प्र0पी—1 दर्ज कराई जिस पर से थाना एण्डोरी में अप0क्र0 88/14 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपी ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया

है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने घटना दिनांक 29.10.14 को प्रातः दस बजे ग्राम चंदोखर नरेश तौमर के दरवाजे के सामने आम रास्ता एण्डोरी जिला भिण्ड पर हरीसिंह अ0सा01 से शराब के लिए पैसे उद्दापन कारित करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. हरीसिंह अ0सा01 का कथन है कि दो वर्ष पूर्व जब वह गेंहूं बुवाई करने टैक्टर से जा रहा था तब आरोपी के घर के सामने से टैक्टर निकालने की बात पर झगड़ा हो गया था और गाली गलौच हो गयी थी इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था फिर उसने एफआईआर प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर नहीं आई। नक्शामौका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसने कथन प्र0पी-3 में लिखाया था कि आरोपी ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे और न देने पर चांटा मारा।
6. हरीसिंह अ0सा01 घटना का महत्वपूर्ण व प्रत्यक्ष साक्षी है क्योंकि वह स्वयं आहत व फरियादी है। लेकिन उसके द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में मात्र गाली गलौच होना बताया है और आरोपी द्वारा शराब के लिए पैसे मांगने अथवा चांटने मारने के तथ्य कथन प्र0पी-3 में उल्लिखित होने पर भी दिए जाने से इंकार किया है और इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपी ने शराब के लिए पैसे मांगे तथा उसे चांटा मारा। अतः स्वयं फरियादी हरीसिंह अ0सा01 द्वारा अभियोजित घटना कारित होने से इंकार किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 29.10.14 को प्रातः दस बजे ग्राम चंदोखर नरेश तौमर के दरवाजे के सामने आम रास्ता एण्डोरी जिला भिण्ड पर हरीसिंह अ0सा01 से शराब के लिए पैसे उद्दापन कारित करने के आशय से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।
7. परिणामतः आरोपी को धारा 327 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0